DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd June, 2014

F.No.6/68/2010-Judl./Pt.file/Suptlaw/613-616 : - Hon'ble Ms. Justice Mukta Gupta has assumed charge of office as a Judge of the High Court of Delhi in the forenoon of 29.05.2014.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
A.S. Yadav, Principal Secy.

दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग
5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली–110054

संख्या एफ.25(01)/2007/परि./परिचालन/103 दिनांकः 02/06/2014

अधिसूचना

सं0एफ.25(01)/2007/परि./परिचालन/103 .– मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 तथा धारा 2 के खंड (41) के साथ पठित धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, 20 सितम्बर, 2012 को दिल्ली मोटर वाहन नियमावली 1993 में संशोधन के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् तथा किन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार के लिए दिए गए विहित समय के व्यतीत होने के पश्चात् नियमों में निम्न रूप से संशोधन करते हैं।

नियमावली

संक्षिप्त शीर्शक एवं प्रारंभ

(1) (1) इन नियमों को दिल्ली मोटर वाहन (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे।

नियम 34–क का समावे[illegible]ान

(2) दिल्ली मोटर वाहन नियमावली 1993 के नियम 34 के पश्चात निम्नलिखित नियम सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात्:–

"34 क. पसंद की पंजीकरण संख्या आबंटन हेतु शुल्क ...

(1) किसी गैर–परिवहन चौपहिया वाहन की स्थिति में निम्न तालिका के कॉलम 1 में यथानिर्दिष्ट कोई पंजीकरण अंक उपलब्ध पंजीकरण श्रृंखलाओं में से किसी श्रृंखला में आबंटन केवल अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर सर्वाधिक बोली देने वाले द्वारा दी गयी बोली पर दिया जाएगा। ऐसी पंजीकरण संख्या के लिए न्यूनतम आरक्षित मूल्य तालिका के कॉलम–2 में उल्लिखित के अनुसार होगा:

श्रेणी	पंजीकरण संख्या/अंक (1)	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (2)
1	0001	पांच लाख रुपए
2	0002 to 0009	तीन लाख रुपए

3	0010 to 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 & 9999	दो लाख रुपए
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008 & 1313	एक लाख रुपए
5	कोई भी अन्य पंजीकरण अंक, जो उक्त श्रेणी संख्या 01 से 04 में उल्लिखित नहीं है और जो किसी व्यक्ति द्वारा पसंद की पंजीकरण संख्या के रूप में मांगा गया है और जो परिवहन विभाग द्वारा पंजीकरण अंकों की श्रृंखलाओं में संख्याओं की कमवार संख्या को लांघ कर आबंटित किया जाता है।	बीस हजार रुपए

(2) ऐसे पंजीकरण अंकों का आबंटन आयुक्त (परिवहन) द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा आबंटित किया जाएगा।

(3) चार पहियों वाले गैर–परिवहन वाहनों के लिए इन पंजीकरण चिह्नों का आबंटन पाक्षिक रूप से खुली बोली / इलेक्ट्रॉनिक नीलामी से किया जाएगा। आवेदक अपने पंजीकरण अंक के चुनाव को पहले से बताएंगे ताकि उन अंको की उपलब्धता देखी जा सके और खुली नीलामी / इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के लिए उन्हें सिस्टम में ब्लॉक किया जा सके।

(4) इन पंजीकरण अंको का आबंटन जारी होने की तिथि से केवल 90 दिन तक वैध होगा। आबंटी द्वारा 90 दिनों के भीतर वाहन के पंजीकरण न करवाने की स्थिति में परिवहन विभाग इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को बोली प्रकिया से पुनः प्रदान कर सकता है और पहले आबंटी द्वारा दी गयी फीस जब्त हो जाएगी।

(5) दिल्ली सरकार और इसके उपकमों तथा केन्द्र सरकार के स्वामित्व वाले परिशिष्ट–1 में यथाविनिर्दिष्ट वाहनों को इस नियम के प्रावधानों से छूट होगी और इन पंजीकरण अंको के आबंटन के लिए कोई अतिरिक्त फीस वसूल नहीं की जाएगी।

(6) परिशिष्ट–1 में विनिर्दिष्ट विशिष्ट व्यक्ति/अधिकारी को उनके नाम पर पंजीकृत वाहनों के लिए पंजीकरण अंको का आबंटन अतिरिक्त फीस के भुगतान के बिना किया जाएगा। यह पंजीकरण उनके कार्यकाल के दौरान अधिकतम दो पंजीकरण अंकों तक सीमित होगा। तथापि किसी गैर पात्र व्यक्ति को प्रारंभिक पंजीकरण से एक वर्ष के भीतर इस पंजीकरण अंक वाले वाहन की बिकी/स्वामित्व में अंतरण की अनुमति तभी होगी जब उस पंजीकरण अंक के लिए आरक्षित न्यूनतम मूल्य का भुगतान कर दिया जाएगा। "

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
ज्ञानेश भारती, आयुक्त (परिवहन)

2281DG/14-9

परिशिष्ट 1

विशिष्ट व्यक्ति एवं अधिकारी

(क) निजी वाहनों के लिए

1. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश
2. उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
3. दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
4. लोक सभा के अध्यक्ष
5. लोक सभा के उपाध्यक्ष
6. लोक सभा में प्रतिपक्ष के नेता
7. राज्य सभा के उपाध्यक्ष
8. राज्य सभा के प्रतिपक्ष के नेता
9. संसद सदस्य
10. अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा
11. उपाध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा
12. दिल्ली विधान सभा के प्रतिपक्ष के नेता
13. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
14. केन्द्रीय मंत्री
15. दिल्ली सरकार के मंत्री
16. दिल्ली विधान सभा के सदस्य
17. दिल्ली के मेयर
18. मुख्य सचिव, दिल्ली सरकार
19. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश
20. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा दानिक्स संवर्ग के अधिकारी (कनिष्ठ प्रशासनिक स्तर से कम नहीं)

(ख) सरकारी वाहनों के लिए

1. दिल्ली सरकार तथा इसके उपक्रमों के वाहन
2. केन्द्र सरकार तथा इसके विभागों के वाहन

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 2nd June, 2014

No. F. 25(01)/2007/Tpt/Ops/103.- In exercise of the powers by section 65 read with clause (41) of section 2 and section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988(59 of 1988), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi after prior publication of the amendments in the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993 on 20th September, 2012 and after passage of the prescribed period therein for taking into consideration any objections and suggestions, is pleased to amend the rules as follows, namely :--

Rules

Short Title and Commencement	(1) (1) These rules may be called the Delhi Motor Vehicles (first amendment) Rules, 2014.
Insertion of rule 34A	(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
	(2) In the Delhi Motor Vehicles Rules, 1993, after rule 34, the following rule shall be inserted, namely:-
	"34A. Fee for the assignment of Registration Mark of choice.-------
	(1) In the case of a non-transport four wheeled vehicle, the assignment of a registration mark, as specified in column 1 of the Table given

below, in any of the available series of registration marks shall be made only on the payment of additional fee to the highest bidder selected through open auction. The minimum reserve price for such registration marks shall be as mentioned in column 2 of the Table:

Category	Registration marks/numbers	Minimum reserved price
	(1)	(2)
1	0001	Rupees Five Lacs
2	0002 to 0009	Rupees Three Lacs
3	0010 to 0099, 0786, 1000, 1111, 7777 and 9999	Rupees Two Lacs
4	0100, 0111, 0200, 0222, 0300, 0333, 0400, 0444, 0500, 0555, 0600, 0666, 0700, 0777, 0800, 0888, 0900, 0999, 2000, 2222, 3000, 3333, 4000, 4444, 5000, 5555, 6000, 6666, 7000, 8000, 8888, 9000, 0101, 0108, 1008, and 1313	Rupees One Lac
5	Any other registration mark, which is not mentioned in category No. 01 to 04 above and is sought by a person as a registration mark of choice and is allotted by the Transport Department by jumping the chronological order of numbers in a series of registration marks.	Rupess Twenty Thousand

(2) The allotment of such registration marks shall be made by an officer authorized by the Commissioner (Transport).

(3) The allotment of such registration marks, as may be available, in respect of four wheeled non-transport vehicles shall be made by open bidding/E-auctioning to be done on fortnightly basis. The applicant will indicate their choice of registration mark in advance so that the availability of such registration marks can be checked and made available for allotment by open auction /E-auctioning.

(4) The allotment of such registration mark shall be valid only for ninety days of its issue. In case, the allottee fails to register the vehicle within ninety days, the same can be re-issued by the Transport department to any other person through bidding process and the fee paid by the initial allottee shall be forfeited.

(5) The official vehicles owned by Government of NCT of Delhi and its undertaking and the official vehicles owned by the Central Government, as specified in Annexure-I are exempted from the provisions of this rule and no additional fee will be charged for allotment of such registration marks.

(6) The dignitaries/officers specified in Annexure-I shall be eligible for allotment of such registration marks, for the vehicle to be registered in their own name without payment of additional fee, limited to maximum of two such registration marks during their tenure. However, the sale/transfer of ownership of the vehicle bearing such a registration mark to a non-eligible person, within one year of its initial registration, shall be allowed only on the payment of the minimum reserved price fixed for that registration mark."

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of NCT of Delhi,
GYANESH BHARTI, Commissioner (Transport)

ANNEXURE- I

A. For Personal Vehicles
Dignitaries and Officers

(i) Judges of Supreme Court.
(ii) Lieutenant Governor of NCT of Delhi
(iii) Judges of High Court of NCT of Delhi
(iv) Speaker of Lok Sabha.
(v) Deputy Speaker of Lok Sabha.
(vi) Leader of Opposition in Lok Sabha
(vii) Deputy Chairman of Rajya Sabha
(viii) Leader of Opposition in Rajya Sabha
(ix) Member of Parliament
(x) Speaker, Delhi Legislative Assembly.
(xi) Deputy Speaker of Delhi Legislative Assembly.
(xii) Leader of Opposition, Delhi Legislative Assembly
(xiii) Comptroller and Auditor General of India
(xiv) Ministers of the Union
(xv) Ministers of the NCT of Delhi
(xvi) Members of Delhi Legislative Assembly
(xvii) Mayors of NCT of Delhi
(xviii) Chief Secretary, NCT of Delhi
(xix) District and Sessions Judge of NCT of Delhi
(xx) Officers of Government of NCT of Delhi belonging to the cadre of Indian Administrative Services and DANICS (not below the level of Junior Administrative Grade).

B. For Official Vehicles

(i) Vehicles belonging to Government of NCT of Delhi and its undertakings. (ii) Vehicles belonging to Central Government and its departments.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

Dali and file No

रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 | भारत सरकार | REGISTERED No. D.L.—33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 75] दिल्ली, सोमवार, जून 2, 2014/ज्येष्ठ 12, 1936 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 42
No. 75] DELHI, MONDAY, JUNE 2, 2014/JYAISTHA 12, 1936 [N.C.T.D. No. 42

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व–1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 2 जून, 2014

सं.फा. 10(11)/वित्त (राज.–1)/2013–14/डीएस VI/490 .–दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 81 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद्द्वारा दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 में आगे संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.–(1) इन नियमों को दिल्ली आबकारी (संशोधन) नियमावली, 2014 कहा जायेगा ।
   (2) ये अधिसूचना 1 जुलाई, 2014 से प्रभावी होंगे ।
2. नियम 152 का संशोधन .– दिल्ली आबकारी नियमावली, 2010 के नियम 152 में उपनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :–
   "(2) देशी शराब–शुल्क 220 प्रतिशत की दर से थोक मूल्य"

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के
आदेश से तथा उनके नाम पर,
रविन्द्र कुमार, उप–सचिव–VI (वित्त)